L.L.B Three year II semester

Family Law – II (Muslim Law)

UNIT – I

Who is Muslim?

Sources and Schools of Muslim Law

Marriage – definition essential of a valid marriage, kinds – valid, irregular, void and Muta

Marriage – effects of void, Batil marriage and irregular marriage

Conversion and its effect of Marriage.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamSc

मुस्लिम कौन है?

मुसलमान कौन है? तथा मुस्लिम विधि का उद्भव कैसे हुआ।

आधुनिक हिन्दू विधि मे हिन्दू की परिभाषा धर्म के सन्दर्भ से अब दूर हो गई है। परन्तु मुस्लिम विधि मे मुस्लिम शब्द की परिभाषा सदैव से ही और आज भी धर्म के सन्दर्भ मे ही दी जाती है। मुस्लिम विधि किन व्यक्तियों पर लागू होती है इसको समझने के लिए मुस्लिम को दो वर्गों मे विभाजित किया जा सकता है—

A) जन्मजात मुस्लिम (By Birth)

B) धर्म परिवर्तन द्वारा (By Conversion)

A) प्रत्येक व्यक्ति तब तक मुस्लिम नही हो सकता जब तक कि वह इस्लाम धर्म को नही मानता है। इस्लाम धर्म कि प्रमुख मान्यता यह है कि "खुदा केवल एक है और मोहम्मद उसके पैगम्बर है।"

अरबी मे — ला-इल्लाह-इल-लिल्लाह मोहम्मद उर रसूलिल्लाह

(B) इस्लाम का आधार विश्वास है अतः गैर-मुस्लिम आस्था द्वारा भी मुस्लिम हो सकता है। यह आवश्यक नही है कि समपरिवर्तन का अनुष्ठान सम्पन्न किया जाये। परन्तु इसका तात्पर्य यह भी नही है कि इस्लाम मे समपरिवर्तन की प्रथा नही है।

सन 1937 तक मुस्लिम व्यक्तिगत विधि (शरियत) अधि० नियम, 1937 के पहले यह सम्भव था कि इस्लाम धर्म मे परिवर्तित व्यक्ति परिवर्तन के बावजूद भी अपनी पूर्व की व्यक्तिगत विधि द्वारा शासित हो सकता था। शरियत अधि० 1937 के लागू होने के पश्चात सामान्य नियम यह है कि प्रत्येक मुस्लिम, मुस्लिम विधि द्वारा ही शासित होना चाहिए।

Scanned with CamScanner

परन्तु समपरिवर्तन दुराशय पूर्ण नही होना चाहिए। दुराशय पूर्ण होने पर समपरिवर्तन विधिमान्य नही माना जाता।

सरला मुदगल बनाम भारत संघ (1995) के वाद मे एक हिन्दु पति ने इस्लाम मे समपरिवर्तित होकर अपनी पत्नी से विवाह विच्छेद किये बिना ही दूसरा विवाह एक मुस्लिम महिला से कर लिया। उच्चतम न्यायालय ने समपरिवर्तन दुराशय पूर्ण होने के कारण विधिमान्य नही माना और विवाह को शून्य घोषित कर दिया।

लिली थामस के वाद मे S.C ने एक हिन्दु द्वारा प्रथम पत्नी से विवाह विच्छेद किये बगैर दूसरी महिला से विवाह करने मात्र के लिये इस्लाम धर्म मे सपरिवर्तन दुराशय पूर्ण माना और द्विविवाह का अपराधी घोषित किया।

मुस्लिम विधि के स्त्रोत

मुस्लिम विधि के स्त्रोतो को दो श्रेणियो मे विभाजित किया गया है—

स्त्रोत

- प्राथमिक स्त्रोत
  - कुरान
  - सुन्ना अथवा अहादिस
  - इजमा
  - कयास या इस्तिहासन
- द्वितीय या गौण स्त्रोत
  - प्रथाये
  - न्यायिक निर्णय
  - विधान

Scanned with CamScanner

मुस्लिम

1) प्राथमिक स्त्रोत- ~~हिन्दू~~ विधि के प्राथमिक स्त्रोत निम्न लिखित है-

1) कुरान — कुरान मुस्लिम विधि का मूल स्त्रोत है जो सीधे ईश्वरीय सन्देश के रुप मे प्राप्त हुआ। पैगम्बर मोहम्मद को ईश्वरीय संदेश धार्मिक एवं सामाजिक सुधार हेतु प्राप्त हुये थे अतः इनमे तत्कालीन अरब की सामाजिक समस्याओ का समाधान मिल गया था। इस्लाम धर्म का विस्तार इतनी शीघ्रता से हुआ कि यह शीघ्र ही एक विश्व व्यापी धर्म बन गया। व समाज मे दिन प्रतिदिन नवीन समस्याये आने लगी जिनका समाधान कुरान मे स्पष्ट रुप से नही था जिसके कारण कुरान के पूरक के रुप मे अन्य स्त्रोतो का उदय हुआ।

मुस्लिम विधि के स्त्रोत के रुप मे कुरान के निम्नलिखित लक्षण है — 1) दैवीय उत्पत्ति

2) प्रथम स्त्रोत

3) धर्म कानून तथा नैतिक नियमो का संमिश्रण

4) अपरिवर्तनशीलता

कुरान मुस्लिम विधि की पूर्ण संहिता नही है। अधिकांश आयते धर्मदर्शन तथा नैतिकता से सम्बन्धित है। कुरान मे कुल 200 आयते ही ऐसी है जिनमे विधिक नियमो का उल्लेख है। इनमे से लगभग 80 आयते व्यैक्तिक विधि से सम्बन्धित है।

2) सुन्ना अथवा अहादिस- पैगम्बर मोहम्मद साहब की परम्पराओ को सुन्ना अथवा अहादिस कहा जाता है। मोहम्मद साहब ने बिना दैवीय प्रेरणा के एक सामान्य मनुष्य की भांति जो कुछ भी किया या कहा वे सब पैगम्बर की परम्पराओ के अन्तर्गत आती है। अतः कुरान मे जो कानून उपलब्ध नही है उसके लिए मोहम्मद साहब के कथन व आचरण

Scanned with CamScanner

को कानून के रूप मे माना जाता है। इस प्रकार हम देखते है कि कुरान मे दैवीय सन्देश स्वय ईश्वर के शब्दो मे है, जबकि सुन्ना मे यह संदेश पैगम्बर मोहम्मद के शब्दो मे है।

इज्मा - (Consensus) opinion of the jurists)

यदि किसी समस्या के लिए कुरान तथा सुन्ना मे कोई नियम नही है तो विधि वेताओ के मतैक्य (एकमत) निर्णयद्वारा नया कानून प्राप्त कर लिया जाता है, जो कि इज्मा कहलता है।

अब्दुल रहीम के अनुसार, "किसी समय के मुस्लिम विधिशास्त्रीयो द्वारा किसी विशिष्ट विषय पर दी गयी सहमति ही इज्मा है।"

मुस्लिम विधि के विकास मे इस स्त्रोत का प्रमुख योगदान रहा है। क्योकि इज्मा के द्वारा ही सामाजिक आवश्यकताओ के अनुरूप नये कानून बनाना सम्भव था।

कयास (Analogical deduction) / इस्तिहासन

अरबी भाषा के शब्द कयास का अर्थ है- "माप" अर्थात एक प्रतिमान से किसी दूसरी वस्तु की समानता या माप करना

विलसन ने कयास की परिभाषा इन शब्दो मे की है, "किसी मूल पाठ मे अन्तर्निहित भाव का किसी दूसरी स्थिति जो वस्तुत: उसके शब्दो मे ना हो से सदृश मूलक अनुमान करने को ही कयास कहते है।"

कयास कि विधि से नियम प्राप्त करने के लिए निम्न दो शर्ते आवश्यक थी-

1) सदृश्यता स्थापित करने वाला व्यक्ति मुजताहिद अर्थात विधिशास्त्री रहा हो तथा

2) उसने नियम को कुरान, सुन्ना या इज्मा के किसी विशिष्ट मूलपाठ से निगमित किया हो।

इस्तिहासन का अर्थ है "विधिक साम्या") निर्वचन के इस सिद्धान्त को केवल हनफी शाखा मे ही मान्यता प्राप्त है। यह विधिशास्त्रियो के स्वयं के न्यायिक ज्ञान पर आधारित विधिक निष्कर्ष है।

Scanned with CamScanner

शिया विधि के प्राथमिक स्त्रोत-

1) कुरान
2) सुन्ना (केवल ऐसे सुन्ना जिनके वाचक पैगम्बर मोहम्मद के कुटुम्ब के थे)
3) इज्मा (जिसकी पुष्टि किसी इमाम ने की हो)
4) अकल (Reason) या तर्क

II द्वितीयक स्त्रोत (गौण स्त्रोत)

इस्लाम के उदय के पूर्व अरब समाज की प्रथाओ के द्वारा नियंत्रित होता था जिनको लगभग मोहम्मद साहब ने इस्लाम के विरुद्ध घोषित किया परन्तु कुछ अच्छी प्रथाओ का प्रचलन समाज मे बना हुआ है। जिन प्रथाओं को मो० साहब ने समर्थन किया उनको सुन्ना के रूप मे स्वीकार किया गया था। इसके अतिरिक्त कुछ प्रथाओं को आधार मान कर विधि शास्त्रीयो ने ~~इज्मा~~ इज्मा के रूप मे अपना निर्णय दिया अतः यह कहा जा सकता है कि स्वतन्त्र रूप से प्रथा कोई मुस्लिम विधि का स्त्रोत नही है।

अब्दुल हुसैन बनाम सोना डेरो के वाद मे प्रिवी काउंसिल ने कहा कि किसी मूल ग्रन्थ के लिखित कानून की तुलना मे एक प्राचीन तथा अपरिवर्तनीय प्रथा को वरीयता मिलेगी।

शरीयत एक्ट की धारा 2 के अनुसार किसी वाद मे पक्षकार मुस्लिम है और वाद उत्तराधिकार, विवाह विच्छेद आदि से संबंधित है तो केवल मुस्लिम व्यक्तिगत विधि ही लागू हो सकती है परन्तु यदि वाद दत्तक ग्रहण, वसीयत तथा उत्तराधिकार से संबंधी है और कोई स्पष्ट प्रावधान नही है तो उसमे प्रथाओ को लागू किया जा सकता है।

न्यायिक निर्णय- किसी वरिष्ठ न्यायालय का निर्णय उसके अधीनस्थ सभी न्यायालय के लिए मान्य होता है। इसी को पूर्व निर्णय का सिद्धान्त कहते है। मुस्लिम विधि के स्त्रोत के रूप मे पूर्व निर्णय का कोई महत्वपूर्ण स्थान नही है क्योंकि सभी नियम मूल धार्मिक ग्रन्थो मे निहित है और न्यायालय को उसी रूप से लागू करना अनिवार्य है। परन्तु न्यायालय ने मुस्लिम विधि को किसी नियम के निर्वचन की प्रक्रिया मे कुछ नवीन नियम प्रतिपादित किए है।

हमीरा बीबी बनाम जुबैदा बीबी के वाद मे प्रिवी काउंसिल ने मेहर मे ब्याज भी वसूलने की अनुमति दे दी जबकि इस्लाम मे ब्याज वसूलना वर्जित है।

Scanned with CamScanner

साहबानो के वाद मे SC ने तलाक सुदा मुस्लिम महिला को भी भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार दिया जबकि मुस्लिम विधि भरण- पोषण का अधिकार इद्दत की अवधि तक होता है।

इस प्रकार भारतीय न्या० ने समय- समय पर अपनी सीमाओ मे रहते हुए प्राचीन मुस्लिम विधि का निर्वचन करते हुए भारतीय मुस्लिम समाज की बदली हुई आर्थिक, सामाजिक आवश्यकताओ को ध्यान रखते हुये किया है।

विधान

इस्लाम की मान्यता के अनुसार ईश्वर ही सर्वोच्च विधिकार है। तथा इसके अतिरिक्त किसी अन्य को यह अधिकार नही प्राप्त है परन्तु फिर भी निम्नलिखित अधिनियम पुरातन मुस्लिम विधि के अतिरिक्त निर्मित किए गये है

(i) मुसलमान वक्फ वैलीडेटिंग एक्ट - 1913

यह अधिनियम वक्फ अल अल औलाद के पुरातन मुस्लिम विधि को मात्र पुर्नस्थापित करता है।

(ii) चाइल्ड मैरिज

यह अधिनियम मुस्लिम विवाह पर लागू होता है। जिसमे विवाह के लिए 18 वर्ष से कम की लड़की तथा 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के का विवाह दण्डनीय माना गया है।

(iii) मुस्लिम पर्सनल शरियत अप्लीकेशन एक्ट, 1937

इस अधिनियम द्वारा मुस्लिम विधि का कोई नया नियम प्रतिपादित नही किया गया है।

(iv) डिस्सोल्युसन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939

इस अधिनियम के अन्तर्गत मुस्लिम स्त्रियो को इसमे दिए गए आधारो पर विवाह विच्छेद की आज्ञप्ति (डिक्री) प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।

(v) मुस्लिम वुमन (Protection of Rights of Divorce) Act-1986

यह अधि० सायरा बानो के केस मे SC द्वारा दिये गये निर्णय को निस्प्रभावी करने के लिए पारित किया गया था।

Scanned with CamScanner

(vi) मुस्लिम स्त्री (विवाह के अधिकारों का संरक्षण) अधि० 2019
(Protection of Rights on Marriage)

शायरा बानो के मामले में माननीय उच्चतम न्याया० ने तीन तलाक (तलाक-उल-बिद्दत) को अवैधानिक बताते हुये सरकार को निर्देश दिया कि उचित विधि निर्माण करके इसको समाप्त किया जाये तथा उक्त निर्देश के अनुसरण में उपरोक्त अधि० पारित किया।

निकाह (विवाह)

इस्लाम के उदय के पूर्व अरब समाज में औरतों को पुरुष की ही सम्पत्ति का दर्जा दिया जाता था। स्त्री को केवल पुरुषों की भोग-विलास की सम्पत्ति समझा जाता था। पुरुष अपनी सगी माता अथवा बहन को छोड़कर किसी भी स्त्री से विवाह कर सकता था। तथा जब चाहे बिना किसी कारण के उसे त्याग देता था।

परन्तु इस्लाम के उदय के साथ स्त्रीयों को समाज में उचित स्थान मिलने लगा। इस्लाम में बहुपत्नी प्रथा में सुधार कर पत्नियों की संख्या अधिक से अधिक चार तक सीमित कर दी। यदि कुरान के सूरा (4) आयत (3) का गम्भीरतापूर्वक अध्ययन एवं निर्वचन किया जाये तो उसका आशय एक पत्नी से है।

कुरान के सूरा (4) आयत (3) के अनुसार, "और अगर तुमको इस बात का डर है बेसहारा (लड़कियों) में इंसाफ कायम न रख सकोगे तो जो औरतें तुम्हे पसंद हो उनसे निकाह करलो- दो-दो या तीन-तीन या चार-चार से, लेकिन अगर तुमको इस बात का भय हो कि उनके साथ बराबरी का बर्ताव न कर सकोगे तो एक ही बीबी से निकाह काफी है।"

Scanned with CamScanner

निकाह की परिभाषा - बेली के अनुसार, "स्त्री पुरुष के समागम को वैध बनाने और सन्तान उत्पन्न करने के प्रयोजन के लिए की गई संविदा निकाह है।"

कुरान शरीफ मे निकाह शब्द योनि सम्बन्ध और विवाह दोनो अर्थों मे प्रयोग हुआ है -

1) जिस औरत के संग तुम्हारे पिता ने निकाह किया है उससे विवाह मत करो; यहाँ निकाह का अर्थ है योनि सम्बन्ध या सम्भोग; इस प्रकार पुत्र के लिए ऐसी औरत निषिद्ध है जिसके संग उसके पिता ने सम्भोग किया था।

2) और यदि पति उसे तलाक दे दे तो वह स्त्री उसके लिये वैध नही रह जायेगी जब तक कि वह अन्य व्यक्ति से निकाह न करे।

मुस्लिम ~~विधि~~ विवाह के उद्देश्य

मुसलमानो मे विवाह एक ~~बहुत~~ बहुत ही पवित्र कार्य माना गया है। मुस्लिम विधि की प्रसिद्ध पुस्तक रद्युल मोहतार मे यह वर्णित है कि "आदम के समय से आज तक हम लोगो के लिए रखा गया और जन्नत (स्वर्ग) मे भी होने वाला कोई ऐसा इबादत (पूजा) का कार्य नही है सिवाय निकाह और ईमान के"

अब्दुल कादिर बनाम सलीमा के वाद मे न्यायमूर्ति महमूद ने निकाह की विधिक परिभाषा निम्नलिखित सन्दर्भ मे दी है - "मुस्लिमो मे निकाह शुद्ध रूप से एक संविदा है यह कोई संस्कार नही है।"

पैगम्बर मोहम्मद साहब ने भी यह कहा था कि "इस्लाम मे सन्यास नही है।"

मुस्लिम विधिवेता इस विषय पर एक मत है कि विवाह सुन्नत मुवक्किदा है अर्थात जो विवाह करता है दूसरी दुनिया मे पुरस्कृत होता है और जो विवाह नही करता है वह पाप का भागी होता है।

मुस्लिम विवाह की प्रकृति और स्वरूप
(Nature and Concept of Muslim Marriage)

मुस्लिम विवाह की प्रकृति के बारे मे विधिशास्त्री एक मत नही है। कुछ विधिशास्त्रीयो का मत है कि विवाह एक सिविल संविदा है, जबकि कुछ अन्य विधिशास्त्री विवाह को एक धार्मिक कर्तव्य मानते है। यदि केवल विधिक दृष्टिकोण से देखा जाये तो निकाह एक संविदा ही है क्योकि मुसलमानो के निकाह मे धार्मिक अनुष्ठानो की कोई आवश्यकता नही है। मुस्लिम निकाह की प्रकृति पर गहन दृष्टि डालने से यह ज्ञात होता है कि "मुस्लिम निकाह संविदा है संस्कार नही" विचार मुस्लिम विवाह के एक आयाम को ही प्रदर्शित करता है।

मु. विधिशास्त्री फैजी के अनुसार, "निकाह के तीन महत्वपूर्ण आयाम है— धार्मिक आयाम
समाजिक आयाम
विधिक आयाम।"

धार्मिक आयाम — मुस्लिम समाज मे निकाह नामक संस्था का बड़ा महत्व है। मो. साहब का कथन है कि "विवाह मेरी सुन्नत है जो लोग जीवन के इस ढग को नही अपनाते है वह मेरे अनुयायी नही है।"

अनीस बेगम बनाम मुस्तफा हुसैन (1935) के मामले मे न्यायमूर्ति सुलेमन ने यह अवधारित किया कि मुस्लिम विवाह संविदा के अतिरिक्त एक धार्मिक संस्कार भी है।

समाजिक आयाम — इस्लाम ~~के~~ पूर्व अरब समाज मे स्त्री जाति को कोई दर्जा (Status) नही प्राप्त था। समाज मे स्त्री को काम तृष्णा की पूर्ति का साधन मात्र थी। इस्लाम मे स्त्री को महत्व प्रदान कर समाज मे ~~—~~ पत्नी के रूप मे एक दर्जा प्रदान किया। मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल(दूत) थे यह विश्वास व विचार केवल मुसलमानो का है। अन्य धर्म के बुद्धजीवी इस बात पर सहमत है कि मोहम्मद साहब एक समाज सुधारक थे। निकाह नामक संस्था का उदय स्त्रीयो को समाज मे एक दर्जा दिलवाने के लिए किया गया था।

Scanned with CamScanner

तथा निकाह के द्वारा यौन भावनाओ की तृप्ति होती है। अत: अनैतिक यौन सम्बन्धो पर नियन्त्रण रहता है।

विधिक आयाम— यह कथन सत्य है कि निकाह के सामाजिक व धार्मिक आयाम है परन्तु एक विधि के छात्र लिए विधिक आयाम अधिक महत्वपूर्ण है। कानून की दृष्टि मुस्लिम विवाह एक संविदा है, संस्कार नही। वैध विवाह के लिए निम्न तीन तत्वो का होना आवश्यक है—

1-) जब तक दोनो पक्षो ने अपनी सहमति न प्रदान की हो विवाह नही हो सकता,

2) संविदा के समान विवाह विच्छेद हो सकता है

3) विवाह सम्पन्न होते समय दोनो पक्ष चाहे तो शर्ते रख सकते है।

कुछ महत्वपूर्ण वादो मे निकाह को सिविल संविदा के रूप मे माना गया है—

अब्दुल कादिर बनाम सलीमा इस वाद मे न्यायमूर्ति महमूद ने निकाह को सिविल संविदा अवधारित किया।

सबरू निशा बनाम सब्दु शेख के वाद मे न्यायाधीश मित्तर ने निकाह को विक्रय की संविदा बताते हुये कहा "मुस्लिम विधि मे विवाह विक्रय के समान एक सिविल संविदा है। विक्रय के मूल्य के बदले सम्पत्ति का अन्तरण होता है। विवाह की संविदा मे पत्नी सम्पत्ति और मेहर उसका मूल्य होता है।"

निष्कर्ष— मुस्लिम निकाह के धार्मिक, समाजिक व विधिक आयमो का अध्ययन करने से स्पष्ट होता है कि निकाह का बाह्य स्वरूप संविदा से मिलता है। किन्तु यह विशुद्ध संविदा नही है इसके समाजिक धार्मिक आयाम भी है।

अनीस बेगम बनाम मो० इस्तफा हुसैन के वाद मे निर्धारित किया गया कि निकाह एक सिविल संविदा व धार्मिक संस्कार दोनो है।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamSc

मुस्लिम विवाह की आवश्यक शर्तें — मुस्लिम विवाह के समय प्राय: मुस्लिम धर्मगुरु (काजी) उपस्थित रहता है। एवं निकाह के समय कुरान की पवित्र आयतों का पठान भी किया जाता है किन्तु वास्तविकता यह है कि मुस्लिम विवाह हेतु किसी धार्मिक कर्मकाण्ड की आवश्यकता नही होती। वि

विधिक दृष्टिकोण से मुस्लिम विवाह संविदा है संस्कार नही। फिर भी निकाह के विद्यमान होने के लिए कुछ आवश्यक तत्व उपस्थित होने चाहिए, जो कि इस प्रकार है —

1-) निकाह की औपचारिकताएँ (Formalties in the Nikah)
2-) निकाह के पक्षकारो की सक्षमता (Competence of the parties for Nikah)
3-) सहमति (Consent
4-) पक्षकारो के मध्य कुछ निषिद्ध नातेदारियो और विधिक बाधाओ का अभाव) (Absence of Some prohibited Relationship of legal prohibitions)

1-) निकाह की औपचारिकताएँ — निकाह हेतु एक पक्ष के द्वारा प्रस्ताव एवं दूसरे पक्ष के द्वारा स्वीकृति एक ही बैठक मे पूर्ण हो। एक ही बैठक का अर्थ है कि प्रस्ताव एवं उसकी स्वीकृति समकालिक होने चाहिए, एवं उसमे तारतम्यता बनी रहनी चाहिए।

सुन्नी विचारधारा के अनुसार निकाह के समय दो स्वस्थ चित्त एवं व्यस्क गवाहो की उपस्थिति आवश्यक है। जो मुसलमान हो। यदि निकाह के समय दो सक्षम पुरुष गवाह न उपस्थित हो तो एक सक्षम पुरुष एवं दो सक्षम महिला गवाह भी विवाह को विधिमान्य बनाने हेतु पर्याप्त है। परन्तु मुस्लिम शिया विधि के अन्तर्गत बिना गवाहो के मान्य विवाह सम्पन्न कराया जा सकता है।

Scanned with CamScanner

2) निकाह के पक्षकारो की सक्षमता- निकाह हेतु सक्षमता दो बातो पर निर्भर करती है पक्षकारो की आयु एवं उनकी मानसिक सामर्थ्य। मुस्लिम विधिशास्त्रीयो ने व्यक्ति के जीवन को तीन अवस्थाओ मे विभाजित किया है—

1) सगीर - सात वर्ष के अन्दर की यह वह अवस्था है जिसमे किया गया विवाह पूर्ण रूप से शून्य होता है।

2) सगीरि - सात वर्ष से पन्द्रह वर्ष के भीतर इस अवस्था मे निकाह संरक्षक की सहमति से किया जा सकता है।

3) बालुग - पन्द्रह वर्ष से अधिक तथा पक्षकार अपनी सहमति से विवाह कर सकते है।

अर्थात् मुस्लिम विधि के अनुसार व्यक्ति पन्द्रह वर्ष की अवस्था मे बालिग हो जाता है।

मुस्लिम विवाह संविदा के सामान है अतः पक्षकारो की मानसिक सामर्थ्य इतनी होनी चाहिए कि वह विवाह के विधिक परिणामो को समझने योग्य हो; अर्थात् पक्षकार स्वस्थ चित्त होने चाहिए। यदि कोई पक्षकार जड़ अथवा पागल है तो उसके विवाह के संरक्षक स्वीकृति प्रदान कर सकते है।

3) सहमति — मुस्लिम विवाह प्रस्ताव एवं स्वीकृति द्वारा सम्पन्न होता है। अतः पक्षकारो की स्वतन्त्र सहमति आवश्यक है। यदि स्वतन्त्र सहमति नही है, तो वह मान्य नही होगी। मुस्लिम समाज की हनफी विचारधारा बलपूर्वक प्राप्त सहमति को भी विवाह हेतु मान्यता प्रदान करती है।

अब्दुल लतीफ बनाम नियाज अहमद (1909) के वाद मे इलाहाबाद उच्च न्या० ने यह अवधारित किया कि यदि मुस्लिम वधु की सहमति प्राप्त नही की गयी है, तो लैंगिक संभोग द्वारा विवाह मान्य नही हो जायेगा।

4) पक्षकारो के मध्य कुछ निषिद्ध नातेदारियो अथवा विधिक बाधाओ का अभाव- मुस्लिम विधि यद्यपि हिन्दू विधि के सपिण्ड सम्बन्ध को मान्यता नही प्रदान करती परन्तु फिर भी विवाह के पक्षकारो

Scanned with CamScanner
Scanned with CamScanner

के बीच कुछ नातेदारियों मे मान्य निकाह नहीं किया जा सकता। इस प्रकार हम कह सकते है कि इन अयोग्यताओं के होने पर निकाह शून्य होगा तथा कुछ ऐसी अयोग्यताएं है जिनमे विवाह शून्य न होकर अनियमित होगा। ये अयोग्यताएं निम्नलिखित है—

1-) सम्पूर्ण अयोग्यतायें
2-) सापेक्ष अयोग्यतायें
3-) अन्य अयोग्यतायें

1-) सम्पूर्ण अयोग्यतायें— यदि पक्षकारो के मध्य सम्पूर्ण अयोग्यता है तो विवाह शून्य (बातिल) होगा। यह अयोग्यतायें वह बाधा है जिसको न तो पक्षकार प्रयत्न करके समाप्त कर सकते और ना ही स्वयं समाप्त हो सकती है। इन अयोग्यताओं का उद्भाव तीन कारणों से होता है—

(i) रक्त सम्बन्धी
(ii) विवाह सम्बन्ध
(iii) धात्रेय सम्बन्ध

(i) रक्त सम्बन्ध— किसी ऐसे पुरूष व स्त्री मे विवाह वर्जित है जिसमें एक मूल हो और दूसरा उसकी शाखा चाहे कितनी दूर का या नजदीक का ऊपर का या नीचे का क्यों ना हो। इस प्रकार कोई भी पुरूष निम्नलिखित स्त्रीयों से विवाह नहीं कर सकता—

a) अपनी माता या दादी या अन्य कोई पूर्वजा,
b) अपनी पुत्री, पौत्री तथा उससे भी नीचे के सभी वंशज,
c) अपनी बहन
d) बहन की पुत्री
e) अपने भाई की पुत्री
f) पिता की बहन या किसी पूर्वजा की बहन
g) माता की बहन या किसी पूर्वजा की बहन

ये सातों कुरान के इस कथन मे शामिल है— "तुम्हारी माताएँ, पुत्रीयां, बहने, और बुआएँ और तुम्हारी मौसिया, भतीजियां और भांजिया तुम्हारे लिये हराम है"

इस निषेध के उल्लंघन मे किया गया विवाह शून्य होता है।

Scanned with CamScanner

(ii) विवाह सम्बन्ध- पुरुष व स्त्री का निकाह उनके बीच ही सम्बन्ध नहीं पैदा करता बल्कि उनके परिवार के अन्य सदस्यों के मध्य भी नातेदारी स्थापित कर देता है। विवाह सम्बन्धों के आधार पर कुछ ऐसी निषिद्ध नातेदारियों का जन्म होता है जो केवल निकाह मात्र से ही निषिद्ध हो जाती है। किन्तु कुछ ऐसी नातेदारियाँ है जो लैंगिक सम्भोग होने के बाद ही निषिद्ध बनती है—

उदाहरण- यदि कोई पुरुष किसी ऐसी विधवा अथवा तलाक शुदा स्त्री से विवाह करता है जिसकी एक जवान पुत्री एवं माता दोनों जीवित है तो निकाह के बाद उस स्त्री की माता से वह विवाह नहीं कर सकता चाहे निकाह के पश्चात सम्भोग हुआ हो या नहीं हो। किन्तु विवाह के पश्चात् सम्भोग के पूर्व वह उस स्त्री को तलाक देकर उसकी पुत्री से विवाह कर सकता है, किन्तु यदि उस स्त्री से पुरुष ने निकाह के उपरान्त सम्भोग कर लिया है, तो अब उस स्त्री की पुत्री भी हर हलात मे उस पर हराम (अवैध) हो गयी।

(iii) धात्रेय सम्बन्ध- (Foster relationship)

अरब समाज मे सम्मानित परिवारों की महिलाये अपने बच्चों को स्तनपान नहीं करती थी। बल्कि अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिये अन्य महिलाओं को सौंप देती थी धात्रेय सम्बन्ध के आधार पर निषेध मुस्लिम विधि की विशिष्टता है। अपने स्तनपान द्वारा किसी बच्चे को पोषित करने की क्रिया जन्म देने से कम महत्वपूर्ण नहीं है इस प्रकार विवाह के लिए निषिद्ध सम्बन्धों मे धात्रेय सम्बन्ध को भी सम्मिलित कर लिया गया है। कोई भी मुस्लिम पुरुष अपने धाय माँ के रक्त सम्बन्धियों तथा निकट सम्बन्धियों से विवाह नहीं कर सकता है।

उदाहरण- धाय माँ की लड़की से विवाह का पूर्ण निषेध है।

II) सापेक्ष अयोग्यताये

जब विवाह के पक्षकारों के मध्य मान्य निकाह के लिए कोई ऐसी बाधा हो जो या तो कुछ समय बाद स्वयं समाप्त हो सकती है; अथवा विवाह के पक्षकार स्वयं कुछ प्रयत्न

Scanned with CamScanner

करके समाप्त कर सकते है। तो ऐसी विधिक अयोग्यता को सापेक्ष (relative) अयोग्यता कहा जाता है।

ये अयोग्यतायें निम्न लिखित पाँच प्रकार की होती है—

1) एक ही समय मे दो बहनो से विवाह
2) चार पत्नीयो के रहते पाँचवी स्त्री से निकाह
3) किसी स्त्री से इद्दतकाल (मासिक धर्म) मे निकाह
4) दो सक्षम गवाहो की अनुपस्थिति मे निकाह
5) गैर मुस्लिम गैर किताबिया स्त्री से निकाह

1) एक ही समय मे दो बहनो से विवाह— इस बाधा के अन्तर्गत एक ही समय रक्त सम्बन्ध द्वारा या विवाह सम्बन्ध द्वारा या धात्रेय सम्बन्ध द्वारा उन दो परस्पर सम्बन्धित स्त्रीयो से निकाह नही किया जा सकता है। जिनमे से एक यदि पुरूष होता तो उनके बीच विवाह असमान्य होता इस बाधा का उल्लंघन करके किया गया विवाह अनियमित (फासिद) होता है। सिया विधि मे ऐसा निकाह शून्य माना जाता है।

उदाहरण— यदि कोई मुस्लिम पुरूष अपनी पत्नी की बहन से निकाह करता है तो यह निकाह अनियमित होगा किन्तु यदि पहली बहन की मृत्यु हो जाये अथवा पुरूष उसको तलाक दे दो तो दूसरी बहन के संग किया गया निकाह नियमित व मान्य हो जायेगा।

3) किसी स्त्री से इद्दतकाल मे निकाह— मुस्लिम विधि के अन्तर्गत विवाह विच्छेद की दशा मे स्त्री को कुछ समय तक दूसरे निकाह की अनुमति नही है इस समय को इद्दतकाल कहा जाता है। यह उपबंध इसलिए किया गया है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पहले पति द्वारा स्त्री गर्भवती तो नही ताकि सन्तान के पितृत्व को निश्चित किया जा सके।

5) गैर मुस्लिम गैर किताबिया स्त्री से निकाह— इस्लाम मे मुसलमान के अतिरिक्त दूसरे धर्मो को मानने वालो को दो धर्मो मे विभाजित किया गया है—

Scanned with CamScanner

एक वर्ग के पुरुष को किताबी तथा महिला को किताबिया कहा जाता है जबकि दूसरे वर्ग को गैरकिताबिया कहा जाता है। मुसलमान के विश्वास के अनुसार इस वर्ग पर अकाशिय पुस्तक नही उतरी थी। सुन्नी विधि के अन्तर्गत सुन्नी पुरुष मुस्लिम महिला और किताबिया महिला से निकाह कर सकता है। किन्तु यदि सुन्नी पुरुष गैर मुस्लिम गैर किताबिया स्त्री से निकाह करता है तो वह निकाह अनियमित होगा।

शिया विधि के अन्तर्गत गैर मुस्लिम स्त्री से निकाह शून्य होता है।

अन्य अयोग्यताएं — मुस्लिम विधि के अन्तर्गत उक्त अयोग्यता के अतिरिक्त निकाह के लिए कुछ अन्य अयोग्यताये निहित की गयी है जो कि निम्नलिखित है —

1) हज यात्रा के मध्य किया गया विवाह सिया विधि के अन्तर्गत वर्जित व शून्य है जबकि सुन्नी विधि के अन्तर्गत मान्य है।

2) एक पति के रहते दूसरे पुरुष से निकाह मुस्लिम विधि के अन्तर्गत स्त्री नही कर सकती है। यदि मुस्लिम महिला ऐसा निकाह करती है तो सिया व सुन्नी दोनो विधियो के अन्तर्गत शून्य होगा।

मुस्लिम विधि का निकाह का वर्गीकरण
(qualification of Muslim Nikah)

सुन्नी विधि के अनुसार

- मान्य या नियमित या सही — Void or Regular
- अनियमित या फासिद — Irregular
- शून्य या बातिल — Void

शीया विधि के अनुसार

- मान्य या सही
- अस्थाई या मुता — Temporary
- शून्य या बातिल

Scanned with CamScanner
Scanned with CamSc

मान्य या नियमित या सही - शिया व सुन्नी दोनों वर्गों मे वह विवाह मान्य कहलाता है, जिसमे मुस्लिम निकाह के सम्पूर्ण आवश्यक तत्व विद्यमान हो अर्थात् निकाह हेतु प्रस्ताव स्वीकृति व सुन्नी विधि के अन्तर्गत दो सक्षम गवाह निकाह के समय उपस्थित हो व स्वतन्त्र सहमति व सक्षम पक्षकार तथा वैध निकाह मे कोई विधिक बाधा ना हो।

ऐसे निकाह द्वारा पुरूष को पति का दर्जा प्राप्त होता है स्त्री को पत्नी की हैसियत प्राप्त होती है।

मान्य निकाह के विधिक प्रभाव - निम्नलिखित होते है -

1) पुरूष को पति तथा स्त्री को पत्नी का दर्जा प्राप्त होता है।
2) लैंगिक सम्भोग विधिमान्य हो जाता है।
3) इस लैंगिक सम्भोग द्वारा उत्पन्न सन्ताने धर्मज होती है।
4) मान्य निकाह के मध्य यदि किसी दम्पत्ति का देहान्त हो जाये तो जीवित पक्षकार को मृतक से उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार होता है।
5) मान्य निकाह के पश्चात विवाह द्वारा उत्पन्न निषिद्ध सम्बन्धों की उत्पत्ति होती है।
6) मान्य निकाह के तुरन्त बाद पत्नी मेहर की अधिकारिणी हो जाती है।
7) मान्य निकाह के पश्चात पत्नी अपने पति से भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी हो जाती है।
8) मान्य निकाह के दौरान यदि पति का देहान्त हो जाये तो विधवा पत्नी को चार महीने 10 दिन की इद्दत का पालन करना पड़ता है।

अनियमित या फासिद - अनियमित निकाह सापेक्ष अयोग्यताओ के उल्लंघन मे किया गया विवाह है जब कोई सुन्नी पक्षकार किसी सापेक्ष अयोग्यताओ की उपस्थिति मे निकाह करते है तो ऐसा निकाह फासिद कहलाता है।

शिया विधि के अन्तर्गत अनियमित निकाह को मान्यता नही प्रदान की गयी। अनियमित निकाह मे सम्भोग वैध होता है तथा उत्पन्न सन्ताने धर्मज कहलाती है। किन्तु पति व पत्नी एक दूसरे की सम्पत्ति मे उत्तराधिकार प्राप्त करने का अधिकार नही रखते है।

Scanned with CamScanner

अनियमित विवाह के विधिक परिणाम- 1-) पति पत्नी का दर्जा प्राप्त हो जाता है।
2-) लैंगिक सम्भोग मान्य हो जाता है।
3-) पति पत्नी एक दूसरे के उत्तराधिकारी नहीं हो पाते है।
5-) सन्ताने धर्मज होती है।
6-) अनियमित निकाह की दशा मे यदि लैंगिक सम्भोग न हुआ हो तो पत्नी मेहर प्राप्त करने की अधिकारिणी नही होगी यदि लैंगिक सम्भोग हो चुका है तो भी पत्नी निश्चित मेहर अथवा प्रथागत मेहर जो भी कम हो उसे प्राप्त करने की अधिकारिणी होती है।
7-) अनियमित निकाह मे यदि लैंगिक सम्भोग न हुआ हो और पक्षकारो के बीच विवाह विच्छेद हो जाये तो पत्नी को इद्दत की अवधि का पालन करना आवश्यक नही होता यदि लैंगिक सम्भोग हो चुका है और विवाह विच्छेद हो जाये तो पत्नी को केवल तीन मास की इद्दत की अवधि का पालन करना पड़ता है चाहे ऐसा विवाह विच्छेद तलाक द्वारा हुआ हो अथवा पति की मृत्यु के कारण हुआ हो।

शून्य या बातिल

सुन्नी या शिया दोनो वर्गों मे सम्पूर्ण अयोग्यताओ के उल्लंघन मे किया गया निकाह शून्य होता है। विधि की दृष्टि मे इसका कोई विधिक महत्व नही होता है।

बातिल निकाह के विधिक परिणाम—

1-) पति पत्नी का दर्जा प्राप्त नही होता।
2-) लैंगिक सम्भोग अवैधानिक होता है।
3-) शून्य निकाह से उत्पन्न सन्ताने अधर्मज होती है।
4-) पति पत्नी कोई भी किसी भी पक्षकार की मृत्यु के पश्चात उसकी सम्पदा मे उत्तराधिकार नही प्राप्त कर सकते।
5-) शून्य विवाह मे विवाह विच्छेद की आवश्यकता नही होती किसी भी समय दोनो पक्षकारो मे से कोई भी दूसरा निकाह कर सकते है।

अस्थायी या मुता

शिया वर्ग मे मुता विवाह मान्यता प्राप्त है। यद्यपि आधुनिक काल मे इसका प्रचलन लगभग समाप्त हो गया है। शिया पुरूष एक समय मे एक साथ जितनी स्त्रीयो से चाहे मुता विवाह कर सकता है। ?

Scanned with CamScanner

एक निश्चित अवधि के लिए किसी निश्चित धनराशि के बदले मे स्त्री तथा पुरुष का सम्बन्ध ही मुता निकाह कहलाता है। मान्य निकाह के विपरीत मुता विवाह मात्र एक अस्थायी सम्बन्ध है।

मुता निकाह की आवश्यक शर्तें – मुता विवाह मे निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है–

1) दोनो पक्षकार सक्षम (बालूग) होने चाहिए तथा स्वस्थ चित्त अथवा वयस्क होना आवश्यक है। किसी अवयस्क का मुता विवाह उसके अभिभावक भी नही कर सकते।
2) शिया (अथवा अशारिया) पुरुष किसी मुस्लिम स्त्री या किताबिया महिला से निकाह कर सकते है।
3) दोनो पक्षकारो की स्वतन्त्र सहमति होनी चाहिए।
4) मुता विवाह भी प्रस्ताव अथवा स्वीकृति द्वारा सम्पन्न होना चाहिए परन्तु गवाहो की उपस्थिति अनिवार्य नही है।
5) मान्य निकाह की भाँति पक्षकारो के मध्य निषिद्ध सम्बन्धो मे मुता निकाह भी वर्जित है।
6) मुता विवाह मे मेहर की धनराशि तथा अवधि भी निश्चित होनी चाहिए। यह अवधि कुछ घंटो से लेकर वर्षो तक हो सकती है।

मुता विवाह के विधिक परिणाम

1) पति पत्नी का दर्जा प्राप्त हो जाता है।
2) लैंगिक सम्भोग विधिमान्य तथा उत्पन्न सन्ताने धर्मज होती है।
3) पति पत्नी एक दूसरे के परस्पर उत्तराधिकारी नही माने जाते है।
4) लैंगिक सम्भोग होने के पश्चात पत्नी मेहर की पूर्ण धनराशि प्राप्त करने की अधिकारिणी होती है और यदि लैंगिक सम्भोग न हुआ हो तो आधी मेहर की धनराशि प्राप्त करने की अधिकारिणी होती है।
5) मुता विवाह मे पत्नी को पति से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार नही रहता।
6) मुता विवाह का विच्छेद तलाक द्वारा किया नही जा सकता है बल्कि निम्न परिस्थितियो मे समाप्त हो सकता है–
(i) किसी पक्षकार की मृत्यु होने पर,
(ii) विवाह की निश्चित अवधि समाप्त हो जाने पर, और
(iii) पक्षकारो के पारस्परिक समझौते द्वारा।

Scanned with CamScanner

7) विवाह की निश्चित अवधि मे लैंगिक सम्भोग नही हुआ है तो पत्नी को इद्दत की अवधि का पालन की आवश्यकता नही है परन्तु यदि लैंगिक सम्भोग हुआ है तो इद्दत की अवधि दो मासिक धर्म तक होगी यदि विवाह बिच्छेद पति की मृत्यु के कारण हुआ है तो इद्दत की अवधि 4 माह 10 दिन होगी। यदि पत्नी विवाह विच्छेद के समय गर्भवती हो तो इद्दत की अवधि सन्तानोत्पत्ति तक मानी जायेगी।

8) मुता की निश्चित अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी यदि पक्षकार साथ मे रहकर लैंगिक सम्भोग निरन्तर जारी रखते है तो मुता विवाह को जीवन भर का मुता विवाह मान लिया जाता है

इद्दत (Iddat)

इद्दत का शाब्दिक अर्थ है गणना करना (Counting) मुस्लिम विधि के अनुसार स्त्री विवाह विच्छेद के पश्चात दूसरा निकाह कर सकती है किन्तु प्रथम विवाह विघटन के समय से एक निश्चित अवधि तक स्त्री को दूसरा निकाह नही करना चाहिए, इसी समयावधि को इद्दत (Iddat) कहा जाता है।

यह समयावधि पति द्वारा तलाक दिये जाने की स्थिति मे, तथा पति की मृत्यु के कारण विवाह विच्छेद की स्थिति मे भिन्न भिन्न होता है।

इद्दत का उद्देश्य यह निश्चित करना है कि स्त्री पहले पति से गर्भवती तो नही है, इस प्रकार सन्तान का पितृत्व ज्ञात तथा निश्चित करना होता है।

इद्दत की अवधि भिन्न-भिन्न परिस्थितियो मे—

तलाक की स्थिति मे— 3 मासिक धर्म, यदि स्त्री को मासिक धर्म नही होता तो तीन चन्द्रमास, और यदि स्त्री गर्भवती है तो बच्चे के जन्म अथवा गर्भपात तक इद्दत की अवधि तलाक की इद्दत की अवधि मे यदि पति की मृत्यु हो जाये तो पत्नी को पति के मृत्यु के दिन से 4 मास 10 दिन की नई इद्दत की अवधि का पालन करना पडेगा।

अनियमित निकाह की दशा मे— सुन्नी विधि के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त अनियमित निकाह की दशा मे यदि विवाह विच्छेद पक्षकारो के कार्य द्वारा होता है अथवा विवाह विच्छेद पति के देहान्त के कारण होता है तो इद्दत की अवधि तीन मासिक धर्म होगा या तीन चन्द्रमास होगा। इसी प्रकार निकाह के

Scanned with CamScanner

विघटन की दशा मे यदि पत्नी के इद्दत व्यतीत करने के मध्य पति का देहान्त हो जाता है तो देहान्त की तिथि से नई इद्दत का पालन करना होगा।

शून्य विवाह की दशा मे – चूँकि शून्य विवाह विधिक रूप से अस्तित्व मे नही होता है। अतः ऐसे निकाह के विघटन मे किसी प्रकार के इद्दत की आवश्यकता नही होती।

मुता विवाह की दशा मे इद्दत की अवधि – यदि सम्भोग नही हुआ है तो मुता के विघटन की दशा मे पत्नी को इद्दत व्यतीत करने की आवश्यकता नही है। परन्तु यदि लैंगिक सम्भोग हो चुका है तो इद्दत की अवधि दो मासिक धर्म होगी।

यदि विवाह का विघटन पति की मृत्यु के कारण हुआ है तो पत्नी को चार माह 10 दिन की इद्दत व्यतीत करनी पड़ेगी।

विवाह विच्छेद के समय यदि पत्नी गर्भवती है तो इद्दत की अवधि जन्म अथवा गर्भपात तक होगी।

इद्दत की आवश्यक शर्तें – 1.) जो स्त्री इद्दत व्यतीत कर रही है उसे उसी घर मे निवास करना चाहिए, जिस घर मे वह तलाक के पूर्व रह रही हो अथवा पति के देहान्त के समय या पूर्व रह रही हो यदि विधवा निराश्रित है और उसके भरण पोषण का कोई साधन नही है, तो वह दिन के समय भरण पोषण हेतु घर के बाहर जा सकती है। किन्तु रात्रि मे उसे पुनः उसी घर मे वापस आ जाना चाहिए।

2) यदि विवाह विच्छेद तलाक द्वारा हुआ है तो इद्दत की अवधि मे पति तलाकशुदा महिला के भरण पोषण के लिए बाध्य है।

3) इद्दत की अवधि के अन्तर्गत स्त्री के लिए दूसरा निकाह वर्जित है। सुन्नी विधि के अन्तर्गत यदि किसी स्त्री ने दूसरा निकाह इद्दत की अवधि मे कर लिया है तो वह विवाह अनियमित होगा। शिया विधि के अन्तर्गत शून्य होगा।

4) जब पति पत्नी को तलाक दे देता है और पत्नी इद्दत की अवधि व्यतीत कर रही होती है तब वह पुरुष (पति) ऐसे समय मे किसी अन्य स्त्री से मान्य निकाह कर सकता है। परन्तु उसी स्त्री को मिलकर कुल चार पत्नी नही होनी चाहिए।

Scanned with CamScanner

5) तलाक अहसन के द्वारा यदि विवाह विच्छेद किया गया है तो पति इद्दत की अवधि मे या तो स्पष्ठ घोषणा द्वारा तलाक का खण्डन कर सकता है या अपने व्यवहार द्वारा (लैंगिक सम्भोग) तलाक का खण्डन कर सकता है।

6) यदि विवाह विच्छेद ऐसे तलाक द्वारा किया गया है जिसमे तलाक शब्दावली तीन बार उच्चारित की गयी है तो ऐसे तलाकशुदा पति पत्नी निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहकर आपस मे मान्य निकाह कर सकते है—

(i) तलाक दी गयी स्त्री इद्दत की अवधि पवित्रता के साथ व्यतीत करे,

(ii) इद्दत की अवधि व्यतीत होने के पश्चात किसी अन्य व्यक्ति से मान्य निकाह करे,

(iii) लैंगिक सम्भोग द्वारा निकाह को पूर्ण अवस्था मे पहुचाएँ,

(iv) दूसरे पति से तलाक प्राप्त करे और

(v) पुनः इद्दत की अवधि पवित्रता के साथ व्यतीत करके पुनः मान्य निकाह तलाककर्ता पति से सम्पन्न करे।

7) यदि विवाह विच्छेद ऐसे तलाक द्वारा किया गया है, जिसमे तलाक शब्दावली केवल एक बार उच्चारित की गयी है तो ऐसे तलाकशुदा पति पत्नी बिना किसी अन्य शर्तों को पूरा किये पुनः मान्य निकाह कर सकते है।

8) इद्दत की अवधि मे यदि पति अथवा पत्नी का देहान्त हो जाता है तो जीवित रहने वाला पक्षकार मृतक पक्षकार की सम्पदा से ~~मुस्लिम~~ उत्तराधिकार मे अंश प्राप्त करने का उत्तराधिकारी होता है।

ख्यार-उल-बुलुग / यौनावस्था विकल्प / Opinion of Puberty

यदि किसी मुस्लिम पुरूष अथवा स्त्री का निकाह उसके संरक्षक की सहमति से 15 वर्ष की आयु पूर्व सम्पन्न कराया गया है तो ऐसे पक्षकार को 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर विखण्डन का अधिकार प्राप्त है। पुरूष पक्षकार के लिए यह अधिकार 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के बाद उस समय तक रहता है जब तक वह प्रत्यक्ष रूप से निकाह स्वीकार न कर ले अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पत्नी के साथ सहवास करके निकाह स्वीकार ले अथवा मेहर का भुगतान कर दे।

Scanned with CamScanner

23

स्त्री पक्षकार को यह अधिकार 15 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात 18 वर्ष की आयु तक प्राप्त है। यदि स्त्री के साथ सम्भोग 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व हुआ है तो वह उस विकल्प का प्रयोग कर सकती है किन्तु अगर सम्भोग 15 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद हुआ है तो वह उस विकल्प का प्रयोग नहीं कर सकती।

Scanned with CamScanner
Scanned with CamSc